कार्यालय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डलायुक्त कार्यालय, वाराणसी की स्टाफ अम्बेसडर कार संख्या–यू0पी0 65 ए0जी0 0234 मेक माडल 2006 की सार्वजनिक नीलामी दि0 02–03–2020 को अपरान्ह 4–00 बजे आयुक्त कार्यालय परिसर में स्थित मण्ड.लीय अनुश्रवण कक्ष में नीलामी समिति के समक्ष की जायेगी । नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने के पूर्व अग्रिम के रूप में रू0 5000/– नाजिर के यहाँ जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा । सर्वोच्च बोलीदाता को बोली की आधी धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि नीलामी के स्वीकार होने के उपरान्त जमा करनी होगी । यदि उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति यह धनराशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जमा कर ली जायेगी । वाहन निरीक्षण आयुक्त कार्यालय, वाराणसी में प्रातः 11–00 बजे से 4–00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस में किया जा सकता है। इसके साथ ही अन्य शर्तें एवं विवरण कार्यालय के नाजिर से सम्पर्क कर प्राप्त किया जा सकता है ।

(जितेन्द्र मोहन सिंह)
अपर आयुक्त(द्वितीय),
कृते आयुक्त।

संख्या 1704/नाजिर–मो0गा0–2020, दिनांकः फरवरी 25,2020

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, वाराणसी/उप निदेशक, सूचना वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रचार–प्रसार कराने हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराकर बिल भी प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(जितेन्द्र मोहन सिंह)
अपर आयुक्त(द्वितीय),
कृते आयुक्त।

कार्यालय आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डलायुक्त कार्यालय, वाराणसी की स्टाफ अम्बेसडर कार संख्या–यू0पी0 65 ए0जी0 0234 मेक माडल 2006 पंजीयन तिथि 26–07–2007, इंजन संख्या–3 ई0एल0एम0एफ0–104767, चेसिस संख्या– ए0ए0जी0–909611 की सार्वजनिक नीलामी दि0 02–03–2020 को अपरान्ह 4–00 बजे आयुक्त कार्यालय परिसर में स्थित मण्डलीय अनुश्रवण कक्ष में नीलामी समिति के समक्ष निम्न् शर्तों पर की जायेगी :–

नीलामी की शर्ते

(1) स्टाफ अम्बेसडर कार संख्या–यू0पी0 65 ए0जी0 0234 आयुक्त कार्यालय, वाराणसी के वाहन स्टैण्ड में खड़ी है, जिसे नीलामी से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में देखा जा सकता है। वह जहॉ है, उसी हालत में उसको नीलामी समिति द्वारा नियत तिथि, समय व स्थान पर नीलाम किया जायेगा।

(2) नीलामी के लिये गठित समिति को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार कर सकती है। अन्तिम उच्चतम बोली सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रूप से स्वीकार की जायेगी।

(3) नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता को बोली बोलने के पूर्व अग्रिम के रूप में रू0 5,000/– (रूपया पॉच हजार मात्र) जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा।

(4) नीलामी के अन्त में सर्वोच्च बोलीदाता को बोली की आधी धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि नीलामी के स्वीकार होने के उपरान्त जमा करनी होगी । यदि उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति यह धनराशि जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा पुनः नीलामी की कार्यवाही की जायेगी।

(5) शासनादेशानुसार विकय मूल्य पर स्टाम्प शुल्क, बिकी कर, आयकर पर शुल्क जमा करना होगा !

(6) जब तक समिति द्वारा स्वीकार की गयी अंतिम बोली को समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यो द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक नीलाम की गयी वाहन पर चौकसी करने के लिये वॉछित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की होगी, लेकिन नीलाम की गयी गाडी आयुक्त कार्यालय परिसर में रखा जायेगा । गाड़ी की सुरक्षा का दायित्व उच्चतम बोली बोलने वाले का होगा।

(7) बोली के अन्तिम रूप में स्वीकृत होने के पश्चात् उसकी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर उच्चतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करके वाहन को ले जाना होगा। यदि सम्बन्धित द्वारा समयान्तर्गत परिसर से वाहन नहीं हटाया जाता तो कार्यालय में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

(8) जिस व्यक्ति के पक्ष में बोली अन्तिम रूप से स्वीकार होगी, उसे स्वयं के व्यय पर आवश्यकतानुसार वाहन स्थानान्तरण आदि कार्यवाही सम्भागीय परिवहन कार्यालय से करानी होगी।

(9) नीलामी की बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकता है, जिसके ऊपर विभाग का कोई बकाया अवशेष न हो।

(10) नीलामी स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी (मण्डलायुक्त) को है।

(11) नीलामी स्वीकृति के पूर्व किसी भी स्तर पर पूर्व सूचना दिये जाने और इसे निरस्त किये जाने का अधिकार सक्षम अधिकारी (मण्डलायुक्त) में निहित है।

(जितेन्द्र मोहन सिंह)
अपर आयुक्त(द्वितीय),
कृते आयुक्त ।

संख्या 1705 /नाजिर–मो0गा0–2020,
प्रतिलिपि :

दिनांकः फरवरी 25 ,2020

1– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3– आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4– सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी।
5– जिलाधिकारी, वाराणसी/चन्दौली/गाजीपुर/जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इच्छुक व्यक्तियों को नीलामी में नियत तिथि को भाग लेने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।
6– क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, वाराणसी।
7– जिला सूचना अधिकारी, वाराणसी/उप निदेशक, सूचना वाराणसी को इस आशय से प्रेषित कि कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में इसका प्रचार–प्रसार कराने का कष्ट करें।
8– जनपद वाराणसी के समस्त विभागाध्यक्ष को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

(जितेन्द्र मोहन सिंह)
अपर आयुक्त(द्वितीय)।